

सोपनी 18/11/2022

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

16.11.22

क्रमांक: 501/237/आउशि/शा-5'अ'/2022

भोपाल, दिनांक 14/11/2022

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

PR Aamir

विषय- सत्र 2022-23 की ई-प्रवेश के माध्यम से प्रवेशित विद्यार्थियों के ऑनलाईन सत्यापन के पुर्नपरीक्षण के संबंध में।

संदर्भ- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित गूगल मीट दिनांक 29 जून, 2022 का कार्यवाही विवरण।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया तथा अन्य बिन्दुओं के संबंध में आयोजित गूगल मीट दिनांक 29 जून, 2022 का कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 915/116/आउशि/शा-5'अ'/2022, दिनांक 07.07.2022 के द्वारा जारी किया गया है। कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 4 पर विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के सम्बंध में निर्देशित किया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिनके प्रमाण-पत्रों का ई-सत्यापन नहीं हुआ है और उनके दस्तावेजों का सत्यापन स्कैनड दस्तावेजों के आधार पर किया गया है, को प्रवेश पश्चात् संबंधित महाविद्यालय में मूल दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित गूगल मीट दिनांक 29 जून, 2022 के परिपालन में जारी कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 4 के अनुक्रम समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/ निजी अशासकीय महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म सत्यापित किये जाने के पूर्व ऐसे विद्यार्थी जिनके प्रमाण-पत्रों का ई-सत्यापन नहीं हुआ है और उनके दस्तावेजों का सत्यापन स्कैनड दस्तावेजों के आधार पर किया गया है, ऐसे विद्यार्थियों के मूल दस्तावेजों से स्कैनड दस्तावेजों का मिलान कर पुनः सत्यापन किया जाए।

यह निर्देशित किया जाता है कि सत्यापन के समय किसी भी मूल दस्तावेज की छायाप्रति संबंधित विद्यार्थी से प्राप्त नहीं की जाए।



(कर्मवीर शर्मा)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक: 502/237/आउशि/शा-5'अ'/2022


भोपाल, दिनांक 14/11/2022

प्रतिलिपि:

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
 2. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
 3. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश





देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर - 452 001

पृ.पत्र क्र. प्रशा./ई-प्रवेश/2022/1100

दिनांक 24 NOV 2022

विषय :- सत्र 2022-23 की ई-प्रवेश के माध्यम से प्रवेशित विद्यार्थियों के ऑनलाईन सत्यापन के पुर्नपरीक्षण के संबंध में।

सन्दर्भ:- उ.शि.वि. के पत्र क्र.1501/237/आउशि/शा-5'अ'/2022 दिनांक 14.11.2022.

प्रति,

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख, समस्त अध्ययनशालाएँ/संस्थान/देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, खंडवा रोड, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक/अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय, शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय, इन्दौर/धार/झाबुआ/खण्डवा/खरगोन/बडवानी/अलीराजपुर/बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

उपकुलसचिव (प्रशासन)